न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3781–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 9/2012–13/अपील.

———

1 श्रीमती कमला शर्मा पत्नी श्री सोमनाथ शर्मा
उर्फ सोनू शर्मा
2 चेतन शर्मा (मृतक) वारिस
3 निशा शर्मा पत्नी स्व0 श्री चेतन शर्मा
4 अक्षय उर्फ हर्ष शर्मा
5 अनमोल शर्मा पुत्रगण स्व0 श्री चेतन शर्मा
सरपरस्ती मॉ निशा शर्मा
6 शिव कुमार शर्मा
7 घनश्याम शर्मा पुत्रगण श्री सोमनाथ शर्मा
निवासीगण लाल टिपारा, तहसील व जिला ग्वालियर म0 प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

1 सुखदेवलाल
2 मनोहरलाल
पुत्रगण श्री रामप्रकाश
3 शारदा देवी पुत्री श्री रामप्रकाश
समस्त निवासीगण ग्राम क्हलमॉ पोस्ट सिदमादौना
जिला कपूरथला (पंजाब)
द्वारा मुख्त्यारआम सुखदेवलाल पुत्र श्री रामप्रकाश

...../....अनावेदकगण

श्री आर0 सी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 7 मई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 10–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा मुरार परगना व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 519 रकबा 1.202, हेक्टेयर सर्वे कमांक 529 रकबा 1.568 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 532 रकबा 1.129 हैक्टेयर भूमि के 1/2 हिस्से की श्रीमती रक्षा देवी अभिलिखित भूमिस्वामी थी । उनके द्वारा आवेदकगण के हित में दिनांक 12–2–1991 को वसीयतनामा निष्पादित किया गया है और श्रीमती रक्षा देवी का 4–12–2001 को स्वर्गवास हो गया है, अतः वसीयतनामे के अनुसार उक्त भूमियों पर आवेदकगण का नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 56/11–12/अ–6 दर्ज किया जाकर दिनांक 16–5–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–9–2012 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–10–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17–9–2012 एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–5–2012 निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण के नामांतरण के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों के मूल भूमिस्वामी फकीरचंद थे और उनके द्वारा उक्त भूमियों में से अपनी पुत्री रक्षादेवी को 1/2 हिस्सा और पुत्र सोनकर को 1/2 हिस्सा दिया गया था, जिस पर उनका नामांतरण भी हो गया था । यह भी कहा गया कि चूँकि मृत भूमिस्वामी रक्षादेवी

आवेदकगण की बुआ थी, अतः उनके द्वारा उनके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत वसीयतनामे को साक्षियों से प्रमाणित कर वसीयतनामें के आधार पर आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रचलित अपील में स्थगन नहीं दिये जाने के कारण इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत हुई थी और निगरानी में आदेश होने के पश्चात प्रकरण जब अपर आयुक्त को वापस प्राप्त हुआ तब आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा पक्षकारों को सूचना देने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा बिना पक्षकारों को सूचना दिये एक पक्षीय आदेश पारित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। यह भी कहा गया कि रक्षादेवी को प्राप्त हुई भूमि पैत्रिक संपत्ति नहीं है, केवल पुत्र के परिवार के लिये पैत्रिक संपत्ति होती है, पुत्री के परिवार के लिये नहीं । इस आधार पर कहा गया कि स्वर्गीय भूमिस्वामी रक्षादेवी को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में मूल वसीयत प्रस्तुत की गई है, अतः मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं होने के संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वसीयतनामा विलंब से प्रस्तुत किया गया है और उनके द्वारा पिता की मृत्यु के पश्चात भी लगभग 4 वर्ष से भी अधिक विलंब से नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनावेदकगण द्वारा भी 10 वर्ष तक मृतक भूमिस्वामी रक्षादेवी के स्थान पर नामांतरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिये उक्त आधार पर अपर आयुक्त द्वारा वसीयतनामा संदिग्ध मानने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्वर्गीय रक्षादेवी की अंतिम इच्छा थी कि पिता से प्राप्त भूमि उनके भाई के परिवार को दी जाये, उन्हें आवश्यकता नहीं थी । तर्क के समर्थन में 1990 राजस्व निर्णय 169, 1978 जेएलजे

391, 1985 राजस्व निर्णय 406 एवं 2007 (2) एमपीजेआर 106 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी रक्षादेवी की मृत्यु दिनांक 4–12–2001 को हुई है और आवेदकगण द्वारा 10 वर्ष पश्चात वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः इस आधार पर वसीयतनामा संदिग्ध मानने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि रक्षादेवी की दो पुत्र एवं एक पुत्री है, तब उन्हें प्रश्नाधीन भूमि में से 1/4 हिस्से की ही वसीयत करने का अधिकार था । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है और तहसील न्यायालय में वसीयतनामा प्रमाणित नहीं हुआ है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि रक्षादेवी द्वारा आवेदकगण के पक्ष में कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया है और वसीयतनामा फर्जी तरीके से तैयार किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के प्रावधान के अनुरूप वसीयतनामा प्रमाणित नहीं किया गया है । तर्कों के समर्थन में 1992 राजस्व निर्णय 398, 1999 राजस्व निर्णय 84, 1996 राजस्व निर्णय 420 एवं 1994 राजस्व निर्णय 239 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित कार्यवाही के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत हुई थी और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6–6–2013 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई है । इस न्यायालय से अभिलेख वापस प्राप्त होने पर अपर आयुक्त द्वारा पुनः कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही में आवेदकगण की ओर से श्री पी0 एन0 शर्मा अभिभाषक ने उपस्थित होकर यह अनुरोध किया कि आवेदकगण को पृथक से सूचना दी जाये । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–9–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण को पृथक से सूचना पत्र जारी करने संबंधी विधिक प्रावधान/न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण नियत किया गया और प्रकरण में दिनांक 18–9–2013 की तिथि नियत की गई । दिनांक 18–9–2013 को अनावेदकगण के अभिभाषक उपस्थित हुये और उनके अनुरोध पर प्रकरण में दिनांक 24–9–2013 की तिथि नियत की गई । दिनांक 24–9–2013 को आवेदकगण के

अभिभाषक का अनुरोध अस्वीकार किया जाकर आवेदकगण के अभिभाषक से यह अपेक्षा की गई कि या तो वे स्वंय प्रकरण में उपस्थित हो अथवा पक्षकारों को पेशी की सूचना दे और प्रकरण में पेशी दिनांक 1–10–2013 नियत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 1–10–2013 को प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया । उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हुआ है । क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा एक एक सप्ताह की पेशी नियत की गई हैदिनांक 24–9–2013 को भी आवेदकगण के अभिभाषक का अनुरोध अस्वीकार करते हुये उनसे यह अपेक्षा की गई है कि या तो वे स्वंय प्रकरण में उपस्थित हो अथवा पक्षकारों को पेशी की सूचना दे और प्रकरण में एक सप्ताह की पेशी नियत की गई है, जबकि उक्त कार्यवाही के लिये कम से कम 15 दिवस का समय दिया जाना चाहिये था ताकि आवेदकगण के अभिभाषक को पक्षकारों को सूचित करने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होता और पक्षकार उपस्थित हो सकते थे । प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही भी नहीं की गई है । यहां यह भी विचारणीय है कि आवेदकगण के अभिभाषक की त्रुटि के कारण आवेदकगण पक्ष समर्थन नहीं कर सके है, और अधिवक्ता की त्रुटि के कारण पक्षकार दण्डित हो, यह उचित नहीं है । चूँकि प्रकरण में वसीयतनामा अथवा वारिसाना नामांतरण का गंभीर बिन्दु विचारणीय था, जिसका अंतिम रूप से निराकरण अपर आयुक्त द्वारा किया जाना था, अतः पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया जाना नैसर्गिक न्याय के अनुरूप आवश्यक था । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा 1998 राजस्व निर्णय 147 के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदकगण द्वारा 10 वर्ष पश्चात वसीयत के आधार पर नामांतरण की मांग की गई है, अतः वसीयतनामा संदिग्ध हो जाता है । उक्त न्याय दृष्टांत के तथ्य इस प्रकरण के तथ्य से भिन्न है । न्याय दृष्टांत का प्रकरण बंटवारे से संबंधित है, जबकि इस प्रकरण में भी अनावेदकगण द्वारा भी आवेदकगण के द्वारा वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तक वारिसाना नामांतरण की मांग नहीं की गई है और इसका कारण भी नहीं बतलाया गया है । अतः इस प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये, उक्त न्याय दृष्टांत के प्रकाश में समय सीमा के आधार पर वसीयतनामे को संदिग्ध मानना विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । अपर आयुक्त द्वारा

वसीयतनामें के साक्षी अमर सिंह एवं सोबरनसिंह के द्वारा किये गये कथनों का विश्लेषण कर उन्हैं स्वतंत्र साक्षी नहीं माना है, जबकि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वसीयतनामें के साक्षियों के कथन से वसीयतनामा प्रमाणित माना है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का यह विधिक दायित्व था कि या तो वे वसीयतनामे के दोनों साक्षियों के समक्ष में कथन अंकित कराते अथवा स्वतंत्र साक्षियों को आहूत कर उनकी साक्ष्य लेते एवं साक्ष्यों का विश्लेषण कर वसीयतनामा के संबंध में निष्कर्ष निकालते । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी विधिसंगत नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक संपत्ति थी इसलिये स्वर्गीय रक्षादेवी को वसीयत करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि हिन्दू नारी को माता–पिता से प्राप्त संपत्ति उसके संपूर्ण स्वामित्व की संपत्ति होकर पैतृक संपत्ति नहीं होती है और इस दृष्टि से रक्षादेवी को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष भी निकाला गया है कि वसीयतनामे की मूल प्रति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, यह विचारण न्यायालय की कार्यवाही से स्पष्ट नहीं होता है और वसीयतनामें की फोटो प्रति प्रस्तुत किये जाने से वसीयतनामा संदिग्ध है । उक्त निष्कर्ष भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि उनके मत में तहसील न्यायालय में मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई थी तब उन्हैं आवेदकगण को मूल वसीयत प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना चाहिये था, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा नामांतरण प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जा रहा था । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(रवदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर